प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 294/22 दिनांक 27/7/2022

2.(1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7, 7 ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं.

(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –

(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – –

3.(1) रोजनामचा आम रपट संख्या 500 समय 5:10 pm

(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार, दिनांक 25–7–2022, समय 11.25 ए.एम.

(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 19–7–2022 समय 1.45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : – कार्यालय प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर।

(1) थाना से दिशा व दूरी– बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 480 किलोमीटर

(2) पता– कार्यालय

..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....

(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : श्री जीवनलाल

(2) पिता का नाम : पुरूषोतम लाल मेनारिया

(3) आयु : 42 साल

(4) राष्ट्रीयता : भारतीय

(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि .....जारी होने की जगह ....

(6) व्यवसाय : होटल संचालक

(7) पता : गांव मेनार पुलिस थाना खेरोदा जिला उदयपुर (राज)।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1) श्री रविन्द्र सिंह पिता स्व. श्री हरिसिंह खींची उम्र 48 वर्ष निवासी कडवड, पुलिस थाना कडवड तहसील व जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर।

2) श्री भैरूसिंह पिता भंवर सिंह चुण्डावत जाति राजपूत निवासी वागरोदा पोस्ट भीमल पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर हाल अनुबंधित वाहन चालक, आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा 25,000/– रूपये, आरोपीगण श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी एवं श्री भैरूसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी श्री जीवनलाल से रिश्वती राशि 25,000 रूपये मांग कर ग्रहण करना।		

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 25,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर

विषय– कानुनी कार्यवाही करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा नाम जीवनलाल मेनारिया पिता पुरूषोतम जी, जाति ब्राहमण उम्र 42 नि. मेनार जिला उदयपुर का निवासी हूँ, मेरी N.H. चित्तौडगढ पर मेनार चौराहे के पास में पुश्तेनी जमीन पर स्वयं का ढाबा चलाता हुं जिसका नाम राजश्री होटल है दिनांक 16/07/22 को मैं जब ढाबे पर काम कर रहा था मावली आबकारी थाने से आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह जो वर्दी में थे Three star ने मुझे मेरे ढाबे पर आकर डराया धमकाया और कहा तु डोडे चुरे व अवैध शराब का धंधा करता है इसके एवज में तुझे बंदी देनी पडेगी नहीं तो तुझे जेल में बंद कर दुंगा तथा मुझे धमकाते हुऐ मेरे अलमारी में रखे 47,800/– रूपये निकाल कर ले गये अब मुझे झुठे मुकदमों में फसाने का डर दिखाकर मुझे बार– बार बंदी के लिए परेशान कर रहे है बार बार थाने पर आने का दबाव डाल रहे है मैं भ्रष्ट अधिकारी को बंदी नहीं देना चाहता हुं साथ ही गाडी चलाने वाले ड्राईवर को जानता हूँ उसका नाम भैरूसिंह है वो भी मुझे साहब के साथ धमका रहा था मैं उसे रिश्वत राशि लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं मेरी आबकारी अधिकारी से कोई रंजीश नहीं है और ना ही कोई लेन–देन बकाया है कृपया कानुनी कार्यवाही करावें।

एसडी
विशाल माथुर

एसडी
जितिन चौहान

प्रार्थी
एसडी/–
जीवनलाल

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 19–7–2022 को समय करीब 1.45 पी.एम पर परिवादी श्री जीवन लाल मेनारिया पिता पुरूषोतम लाल जाति ब्राह्मण उम्र 41 निवासी मेनार जिला उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मेरी N.H. चित्तौडगढ पर मेनार चौराहे के पास में पुश्तेनी जमीन पर स्वयं का ढाबा चलाता हुं जिसका नाम राजश्री होटल है दिनांक 16/07/22 को मैं जब ढाबे पर काम कर रहा था मावली आबकारी थाने से आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह जो वर्दी में थे Three star ने मुझे मेरे ढाबे पर आकर डराया धमकाया और कहा तु डोडे चुरे व अवैध शराब का धंधा करता है इसके एवंज में तुझे बंदी देनी पडेगी नहीं तो तुझे जेल में बंद कर दुंगा तथा मुझे धमकाते हुऐ मेरे अलमारी में रखे 47,800/– रूपये निकाल कर ले गये अब मुझे झुठे मुकदमों में फसाने का डर दिखाकर मुझे बार– बार बंदी के लिए परेशान कर रहे है बार बार थाने पर आने का दबाव डाल रहे है मैं भ्रष्ट अधिकारी को बंदी नहीं देना चाहता हुं साथ ही गाडी चलाने वाले ड्राईवर को जानता हूँ उसका नाम भैरूसिंह है वो भी मुझे साहब के साथ धमका रहा था मैं उसे रिश्वत राशि लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं मेरी आबकारी अधिकारी से कोई रंजीश नहीं है और ना ही कोई लेन–देन बकाया है कृपया कानुनी कार्यवाही करावें।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने से हालात उच्चाधिकारी को निवेदन करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के निर्देश प्राप्त होने पर कार्यालय हाजा के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात श्री सुरेश कानि एवं परिवादी श्री जीवनलाल का आपस में परिचय कराया जाकर बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी श्री जीवनलाल एवं श्री सुरेश कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु मावली भेजा गया। मांग सत्यापन के दौरान श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी के द्वारा परिवादी से आबकारी थाने में झूठे केस नहीं बनाने की एवज में एवं बंदी के नाम पर 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की एवं पूर्व में दिनांक 16–7–22 को परिवादी की अलमारी में से 47,800 रूपये लेना भी स्वीकार किया गया। जिस पर परिवादी ने कुछ कम करने का कहने पर मांग सत्यापन के दौरान ही मौके पर मौजूद श्री भैरूसिंह (ड्राईवर) ने भी परिवादी से एक–दो हजार रूपये कम देने का कहा। उक्त

वार्ता को परिवादी के द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। मांग सत्यापन वार्ता से रिश्वत मांग करने की पुष्टि होने पर उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, निदेशालय उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर श्री अशोक कुमार कानि 07 को निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर भिजवाया गया। परिवादी श्री जीवनलाल को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 20.07.2022 प्रातः 7.30 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर लेकर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए रूखसत किया गया एवं ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को भी दिनांक 20–7–22 को प्रातः 7.30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। श्री अशोक कुमार कानि उपस्थित कार्यालय होकर गवाह पाबंद तेहरीर पेश करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना हो निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर पहुंच दो स्वतंत्र गवाहान कल दिनांक 20–7–22 को प्रातः 7.30 बजे कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर में उपस्थिति देने हेतु तेहरीर दी गयी। कार्यालय की तेहरीर पर ही श्री जितिन चौहान वरिष्ठ सहायक एवं विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाहान हेतु नामित किया गया।

दिनांक 20–7–2022 को समय करीब 7.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय का समस्त जाप्ता एवं ब्यूरो कार्यालय एसयू उदयपुर से उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री गजेन्द्र कुमार स.उ.नि. उपस्थित कार्यालय हुए। जिसके कुछ ही देर में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री जितिन चौहान पुत्र स्व. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान निवासी– 26, ईस्ट समता विहार अम्बामाता घाटी तितरडी उदयपुर पुलिस थाना सविना उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक तथा श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भूवनेन्द्र भारती निवासी–54/423, न्यू विद्यानगर, श्री.जी. विहार हिरण मगरी सेक्टर–4, उदयपुर पुलिस थाना हिरणमगरी उदयपुर हाल–वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित कार्यालय हुए। तत्पश्चात समय करीब 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री जीवनलाल उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ''आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने में समय लग गया। मेरे द्वारा 25,000 रूपये की ही व्यवस्था हुई है और आरोपी इतने रूपये ले लेने के लिए राजी हो जाएगा।'' जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री जितिन चौहान से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी के समक्ष ही श्री विशाल माथुर एवं श्री जितिन चौहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 19–7–22 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 19–7–22 को परिवादी एवं आरोपीगण श्री रविन्द्र सिंह व भैरूसिंह ड्राईवर के बीच हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकलवाया जाकर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा दिनांक 19–7–22 की रिकॉर्डशुदा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार की गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर परिवादी एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सीडी कवर में सिलचिट किया गया तथा मूल व डब सीडी को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। इसके उपरान्त उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जीवनलाल से आरोपी रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये को 2 नोट एवं 500–500 रूपये के 42 नोट इस प्रकार कुल राशि 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

1	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6CE 440711
2	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8LC 539069
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6CP 554197

4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6CP 554199
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4ES 211148
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4CS 801424
7	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4BR 551492
8	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4BH 377036
9	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1FW 801151
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3CA 989669
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0RN 755623
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8EC 327356
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5VV 084738
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3KF 715999
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0CK 457797
16	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9BP 721290
17	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9PW 639531
18	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4VE 895248
19	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8NS 533195
20	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2HL 111310
21	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8GV 245711
22	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8QW 391101
23	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6PL 647817
24	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3MA 345027
25	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2MS 276794
26	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8CH 667607
27	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3KG 225789
28	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2PA878557
29	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7FS 294991
30	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7ED 429720
31	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7FH 525526
32	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5NH 339203
33	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6CP 554196
34	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3MD 437995
35	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7AT 849024
36	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8VG 275752
37	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5UW 654845
38	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4DD 821316
39	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6NW 662988
40	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1BE 004292
41	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7UD 088512
42	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5GL 566133
43	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7AA 210644
44	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4BH 346389

परिवादी श्री जीवनलाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शै: नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया. तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में गजाराम वरिष्ठ

सहायक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाने पुनः सुरक्षित मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करे अथवा मौका मिलने पर अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर दिये गये। श्री अशोक कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री जीवनलाल के साथ श्री सुरेश कानि को परिवादी के निजी वाहन से मावली के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जितिन चौहान एवं श्री विशाल माथुर ब्यूरों जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स इत्यादि संसाधन के प्राइवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना मावली होकर समय करीब 5.05 पी.एम. पर मावली स्थित आबकारी पुलिस थाने के पास पहुंच सभी अपने-अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत देते हुए परिवादी को रिश्वत लेनदेन हेतु पुलिस थाना आबकारी, मावली के लिए रवाना किया गया। हम सभी आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। कुछ ही देर में परिवादी आबकारी पुलिस थाने से बाहर आकर बिना ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं आबकारी थाने में गया। जहां श्री रविन्द्र सिंह जी सीआई साहब एवं उनका ड्राईवर श्री भैरूसिंह गेट पर ही मिल गये। जिनसे मैंने बात करनी चाही तो उन्होंने मुझसे कहा कि ''एक दो दिन में हम ही तेरे पास आ जायेंगे।'' जिसके उपरांत वो तथा उनका स्टाफ गाडी में बैठकर रवाना हो गये। हमारे बीच जो वार्ता हुई है उसे मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान के परिवादी को साईड में लेकर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। आरोपी श्री रविन्द्र सिंह, प्रहराधिकारी के द्वारा इस वक्त रिश्वत राशि ली जाने की संभावना नहीं होने से परिवादी की जेब में पूर्व में रखे फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से निकलवाया जाकर पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी से मिलानकर ट्रेप बॉक्स में रखे एक लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये।

स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि ''आरोपी श्री रविन्द्र सिंह यदि रिश्वत के संबंध में संपर्क करे तो इसकी सूचना तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को देवें।'' तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत कर मन्**पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मावली से रवाना होकर उदयपुर पहुंच ट्रेप बॉक्स को ब्यूरो के मालखाने में सुरक्षित रखवाया व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 24-7-2022 समय करीब 5.00 पी.एम. पर ब्यूरों के कानि. श्री सुरेश ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसके मोबाईल पर परिवादी ने फोन करके बताया कि ''अभी अभी श्री रविन्द्र सिंह जी सीआई साहब उनकी सरकारी गाडी में मेरी होटल पर आये व मुझसे रिश्वत राशि की मांग करने लगे और मैंने रिश्वती राशि की व्यवस्था करने का कहने पर वो रवाना हुए, लेकिन वो कभी भी वापस यहां आ सकते है। जिस पर मन् निरीक्षक द्वारा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चंद्र सिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर, श्री जितिन चौहान एवं ब्यूरो जाप्ता के उदयपुर से रवाना होकर मेनार कस्बे से पहले स्थित मेनरोड पर ही पुलिये के पास समय करीब 6.05 पीएम पर पहुंच परिवादी से संपर्क कर परिवादी को बुलाया। कुछ देर बाद परिवादी के उपस्थित होकर बताया कि ''आज अभी करीब घंटे भर पहले आरोपी सीआई साहब मेरी होटल पर आये तो मैं होटल पर नहीं होकर मेरे खेत पर था। जिस पर उनके द्वारा मेरे गांव के ही श्री अंबालाल के मोबाइल नम्बर 8003727245 से दो बार समय करीब 4.58 पीएम एवं 5.08 पीएम पर मेरे मोबाइल नम्बर 9461146166 पर कॉल किया और मुझे होटल पर अभी तुरन्त ही पैसे लेकर आने के लिए कहा। जिस पर मैंने आपको कॉल करके बात बतायी थी। उसके बाद मैं होटल पर गया तो आबकारी सीआई साहब रविन्द्र जी मेरी होटल पर जाप्ते के साथ मिले। फिर उन्होंने मुझे एक साईड लेकर पैसों की मांग की तो मैंने उनको अभी कुछ देर में पैसे की व्यवस्था करके देने को कहा तो उन्होंने मुझे 20-25 मिनट में व्यवस्था कर लाने के लिए कहते हुए अपनी गाडी से चले गये।'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स में पूर्व में लिफाफे में रखवायी हुई रिश्वती राशि को उपस्थितिन के समक्ष ही स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से निकलवायी जाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये। स्वतंत्र गवाह के हाथ वाहन में रखे साफ पानी से धुलवाये गये एवं परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर दी जाकर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायतन के सुपूर्द किया एवं रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करने की भी हिदायत देकर परिवादी को उसकी होटल की तरफ समय करीबन 6.15 पीएम पर रवाना कर पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हो होटल के पास पहुंच वाहनों को एक तरफ खडा करवाया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहियान जाब्ता पैदल-पैदल होटल के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। किन्तु समय 8.40 पीएम तक परिवादी के द्वारा कोई ईशारा एवं संपर्क नहीं करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान के परिवादी की होटल पर पहुंच परिवादी को एक साईड में आने का ईशारा किया। जिस पर परिवादी साईड में आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से टेप रिकॉर्डर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी को अवगत कराया कि वक्त रात्रि का हो गया है अब ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। इसलिए परिवादी को होटल आज बंद करना एवं सुबह जब भी आरोपी द्वारा संपर्क करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत दी गयी। परिवादी की जेब में रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से ही निकलवायी जाकर पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी से नोटो के नम्बर मिलानकर एक लिफाफा में रखकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायी जाकर स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को उसकी होटल पर छोडा जाकर समय करीबन 9.00 पीएम पर मेनार से रवाना हो समय 10.05 पीएम पर ब्यूरो इकाई उदयपुर पर पहुंचे। जहां पर स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरों जाप्ते को प्रातः 9.00 बजे कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरों उदयपुर पर उपस्थित होने पाबन्द किया गया। स्वतन्त्र गवाहन को रूकसत किया गया। ट्रेप बॉक्स को भी मालखाने में रखवाया गया व डिजिटल टेप

रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। ब्यूरो जाप्ते को भी आवश्यक हिदायत दी गयी।

दिनांक 25–7–2022 समय करीब 9.35 ए.एम. पर पाबंदशुदा ब्यूरो जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाह कार्यालय में उपस्थित हुए। इमरोजा परिवादी श्री जीवनलाल के मोबाइल नम्बर 9784522205 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल कर अवगत कराया कि अभी–अभी रविन्द्र जी सीआई साहब ने मेरे गांव के पडौसी श्री अंबालाल को फोन कर मुझे पैसे लेकर आबकारी थाना मावली में बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हालात से उच्चाधिकारियों को निवेदन कर निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चंद्र सिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर, श्री जितिन चौहान एवं ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि के टेक्सी वाहनों से आबकारी थाना मावली की ओर रवाना होकर समय करीब 11.10 एएम पर मावली स्थित रेलवे फाटक पहुंचे जहां पर पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री जीवनलाल अपनी निजी कार के उपस्थित मिला। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स में पूर्व में लिफाफे में रखवायी हुई रिश्वती राशि को उपस्थितिन के समक्ष ही स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से निकलवायी जाकर पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपुदगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरो से उक्त नोटों का मिलान करवाया गया तो मिलान हूबहू हुआ। तत्पश्चात् उक्त नोटों को परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये। स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के हाथ वाहन में रखे साफ पानी से धुलवाये गये एवं परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर दी जाकर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायतन के सुपूर्द किया एवं रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर कॉल अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा करने की भी हिदायत देकर परिवादी को उसकी निजी कार से समय करीब 11.18 एएम पर आबकारी थाना मावली की तरफ रवाना कर पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हो आबकारी थाने के पास पहुंच वाहनों को एक तरफ खडा करवा वाहनों से उतरकर थाने के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय करीब 11.25 एएम पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा कॉल कर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त निर्धारित ईशारे से हमराहीयान को अवगत करा कार्यालय आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर के मैनगेट से प्रवेश किया। आबकारी निरोधक दल की बिल्डिंग के पोर्च में परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि अभी–अभी सीआई साहब रविन्द्र जी जो कि उनके ऑफिस में ही बैठे हुए है जिन्होंने मुझसे रिश्वत में ली जाने वाली राशि 25,000 उनके ड्राईवर श्री भैरूसिंह जो उस समय सीआई साहब के पास ही खडे थे को देने के लिए उसकी ओर ईशारा किया। जिस पर मैंने उक्त रिश्वती राशि 25,000 रूपये भैरूसिंह जी को दी और साहब ने बाहर जाने का कहा। जिस पर मैं बाहर आपको कॉल किया। मैं यहीं खडा था कि आप आ गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे प्रहराधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। जहां पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही रविन्द्रसिंह सीआई साहब है। जिन्होंने अभी अभी इनके ड्राईवर श्री भैरूसिंह को मुझसे 25,000 रूपये रिश्वती राशि दिलवायी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रविन्द्रसिंह पिता स्व. श्री हरिसिंह खींची उम्र 48 वर्ष निवासी कडवड, पुलिस थाना कडवड तहसील व जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, मावली जिला उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री रविन्द्रसिंह प्रहराधिकारी को रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 25,000 में से 4,000 रूपये मेरा ड्राईवर श्री भैरूसिंह चुण्डावत के पास है एवं शेष राशि मेरे ड्राईवर भैरूसिह स्वयं ने ही इसी कार्यालय कक्ष के अटेच बने कमरे में टंगी हुई पेंट की जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरिश्चंद्रसिंह पुलिस निरीक्षक मय श्री टीकाराम कानि. को श्री भैरूसिंह ड्राईवर की तलबी कर पेश करने हेतु निवेदन किया। उपस्थितिन के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रहराधिकारी श्री रविन्द्र सिंह से पुछा गया

की आपने परिवादी से रिश्वती राशि किसी कार्य हेतु ली है तो उनके द्वारा अपनी गर्दन नीची कर ली और कुछ नहीं बोले। जिस पर पास में खडे परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष स्वतः ही बताया कि श्री रविन्द्र सिंह सीआई साहब ने पहले भी मेरे होटल मे आकर मेरी होटल में रखी अलमारी से 47,800 रूपये निकाल कर लिये और मुझे मासिक बन्दी के 25,000 रूपये देने के लिए दबाव बना रहे है और रोज मेरे पडौसी अम्बालाल के फोन कर मुझ से पैसे मांग रहे है। आज भी सुबह सीआई साहब ने मेरे पडौसी अम्बालाल के फोन पर फोन कर मुझे 25,000 रूपये लेकर आबकारी थाने पर बुलाया जिस पर मैने आपको कॉल कर यह सारी बात बताई। चूकि आरोपी प्रहराधिकारी द्वारा रिश्वती राशि उसके ड्राईवर श्री भैरू सिंह से कार्यालय कक्ष के अटेच कक्ष में टंगी पेंट में रखवायी है। अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के उक्त कक्ष में प्रवेश किया तो कमरे में हेंगर पर एक पेंट बरंग कबूतरी लटकी हुई है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान से उक्त पेंट को उतरवायी जाकर तलाशी लिवायी गयी तो उक्त पेंट सामने की बायी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान से ही गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 42 नोट कुल 21,000 रूपये मिले। जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। चूंकि रिश्वती राशि बरामदगी स्थान पेंट की संबंधित जेब का धोवन लिया जाना वांछित होने से टेक्सी वाहन से ट्रेप बॉक्स श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का साफ गिलास निकलवाया जाकर उसमें आबकारी निरोधक कार्यालय में प्रयुक्त पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच के गिलास में पानी भरवाकर उक्त गिलास में स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान से ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवायी जाकर उक्त कांच के साफ गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री रविन्द्र सिंह की पेंट की सामने की बायी जेब को उलटवाकर डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। उक्त घोल को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट की संबंधित जेब को सुखवायी जाकर पेंट की संबंधित जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा उक्त पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से सिलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस समय श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय श्री टीकाराम कानि.उपस्थित होकर श्री हरिश्चंद सिंह पुलिस निरीक्षक ने अवगत कराया कि श्री भैरूसिंह ड्राईवर का पता किया तो वो उसके घर पर भी नहीं है, परिसर के आसपास भी नहीं है। एसीबी की कार्यवाही का पता चलने से भैरूसिह ड्राईवर मय रिश्वती राशि 4000 रूपये के फरार हो गया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी को श्री भैरूसिंह के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि आबकारी निरोधक दल मावली में इस कार्यालय में स्वीकृतशुदा संविदा बोलेरो वाहन संख्या आर जे 27 टीए 9064 मय चालक श्री भैरूसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह चुण्डावत निवासी वागरोदा पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर जो कि संविदा पर दिनांक 22-4-22 से आबकारी निरोधक दल मावली पर लगी हुई है। श्री भैरूसिंह अभी कुछ देर पहले यहीं कार्यालय में था। अभी अभी बाहर गया, कहां गया है इसका मुझे मालूम नहीं है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी को आबकारी निरोधक दल पर संविदा वाहन की पत्रावली उपलब्ध कराने हेतु कहने पर उसके द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही उसकी टेबल की दराज से एक पत्रावली ''आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर संविदा वाहन संख्या आर जे 27 टीए 9064 वर्ष 2022-23'' पेश की। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पेज संख्या 1 से 32 तक है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की संलग्न पत्रावली की गयी। उपस्थितिन के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र सिंह को आरोपी भेरूसिंह के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो भेरूसिंह का मोबाईल आरोपी रविन्द्र सिंह के टेबल के सामने वाली टेबल पर पडा हुआ था। उक्त मोबाईल

के बारे में आरोपी श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त मोबाईल ड्राईवर भैरूसिंह का है। जो अभी-अभी एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मोबाईल को छोडकर चला गया है। उक्त मोबाईल को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कब्जे ब्यूरों लिया गया उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री रविन्द्र सिंह को परिवादी से दिनांक 16-7-22 को उसकी होटल से लिये गये 47,800 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि श्री जीवनलाल जो कि अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री अपनी होटल पर करता है जिसकी तलाशी लेने गया था तब मैंने उसके होटल में रखी अलमारी से 47,800 रूपये लिये थे वो रूपये मैंने आबकारी निरोधक दल मावली में संविदा पर लगी गाडी के ड्राईवर श्री भैरूसिंह को दिये जो उसके पास ही है। अब वो ही उक्त राशि के बारे में बता सकता है। तत्पश्चात् दिनांक 20-7-22 एवं 25.07.2022 की रिश्वत मांग एवं लेन-देन वार्ता की पृथक-पृथक मूल एवं डब सीडियॉ तैयार की जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को भी जरिये फर्द सीलचिट किया गया। तत्पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका तैयार किया गया तथा फरार आरोपी श्री भैरूसिंह की तलाश उसकी सकूनत एवं संभावित ठीकानो पर करवाई गई किन्तु आरोपी कही नहीं मिला। तत्पश्चात् समय करीब 3.10 पी.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र सिंह पिता स्व. श्री हरिसिंह खींची उम्र 48 वर्ष निवासी कडवड, पुलिस थाना कडवड तहसील व जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने से श्री रविन्द्र सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री रविन्द्र सिंह को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहा गया तो आरोपी ने उक्त पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में दे दूगा का प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। समय करीब 3.40 पी.एम. पर परिवादी श्री जीवनलाल को मौके से ही रूखसत करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रविन्द्र सिंह, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के टेक्सी वाहनों से आबकारी निरोधक दल मावली से ब्यूरो इकाई उदयपुर के लिए रवाना होकर उदयपुर पहुचे। आरोपी श्री भैरूसिंह ड्राईवर का मोबाईल वजह सबूत होने से जप्त किया गया। ततपश्चात् मालखाना आर्टिक्लस, सिलचीटशुदा रिश्वत राशि, पेन्ट पैकेट, सिलचिटशुदा सीडियॉ, जप्तशुदा मोबाईल इत्यादि को जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूकसत किया गया।

दिनांक 26.07.2022 को आरोपी श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात, उदयपुर के समक्ष पेश कर 15 योम जेसी रिमाण्ड स्वीकृत करा केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में जमा करवाया गया।

इस प्रकार समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जीवन लाल मेनारिया पिता पुरूषोतम लाल जाति ब्राह्मण उम्र 41 निवासी मेनार जिला उदयपुर ने दिनांक 19-7-22 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मेरी N.H. चित्तौडगढ पर मेनार चौराहे के पास में पुश्तेनी जमीन पर स्वयं का ढाबा चलाता हुं जिसका नाम राजश्री होटल है दिनांक 16/07/22 को मैं जब ढाबे पर काम कर रहा था मावली आबकारी थाने से आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह जो वर्दी में थे Three star ने मुझे मेरे ढाबे पर आकर डराया धमकाया और कहा तु डोडे चुरे व अवैध शराब का धंधा करता है इसके एवज में तुझे बंदी देनी पडेगी नहीं तो तुझे जेल में बंद कर दुंगा तथा मुझे धमकाते हुऐ मेरे अलमारी में रखे 47,800/- रूपये निकाल कर ले गये अब मुझे झुठे मुकदमों में फसाने का डर दिखाकर मुझे बार-बार बंदी के लिए परेशान कर रहे है बार बार थाने पर आने का दबाव डाल रहे है मैं भ्रष्ट अधिकारी को बंदी नहीं देना चाहता हुं साथ ही गाडी चलाने वाले ड्राईवर को जानता हूँ उसका नाम भैरूसिंह है वो भी मुझे साहब के साथ धमका रहा था मैं उसे रिश्वत राशि लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं मेरी आबकारी अधिकारी से कोई रंजीश नहीं है और ना ही कोई लेन-देन बकाया है कृपया कानुनी कार्यवाही करावें।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन-देन का पाया जाने पर नियमानुसार

दिनांक 19–7–22 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराया गया तो मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रविन्द्र सिंह ने 30,000 रूपये मासिक बंदी के रूप में मांग करते हुए उक्त मांग सत्यापन के दौरान ही आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के दलाल श्री भैरूसिंह (अनुबंधित वाहन चालक) ने परिवादी को हजार–दो हजार रूपये कम देने के लिए कहा। जिस पर रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 20–7–22 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित की तो उक्त दिनांक को आरोपी श्री रविन्द्र सिंह ने सतर्कता बरतते हुए रिश्वती राशि ग्रहण नहीं कर स्वयं एक दो दिन में स्वयं मिल लेने के लिए कहा।

तत्पश्चात दिनांक 25–7–22 को आरोपी श्री रविन्द्र सिंह ने अन्य के मोबाइल पर कॉल करके परिवादी को मावली स्थित आबकारी निरोधक दल पर बुलाया। जहां पर परिवादी से आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के द्वारा 25,000 रूपये आबकारी निरोधक दल में लगे अनुबंधित वाहन चालक आरोपी श्री भैरूसिंह से लिवाये जाकर उक्त रिश्वत राशि को दोनो आरोपी के द्वारा आपस में बांटकर आरोपी श्री भैरूसिंह ने 4,000 रूपये रिश्वत राशि अपने स्वयं के पास रखते हुए शेष रिश्वती राशि 21,000 रूपये भैरूसिंह ने ही आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के कार्यालय कक्ष के अटेच कमरे में रखी आरोपी श्री रविन्द्र सिंह की पेंट में रखे। आरोपी श्री रविन्द्र सिंह की पेंट की बायी जेब में 21,000 रूपये बरामद हुए। आरोपी श्री भैरूसिंह को एसीबी कार्यवाही की भनक लग जाने से 4000 रूपये रिश्वती राशि लेकर मौके से फरार हो गया। आरोपी श्री रविन्द्र सिंह से पूर्व में परिवादी के यहां से ग्रहण किये गये 47800 रूपये के संबंध में पूछा तो उसने अपने दलाल श्री भैरूसिंह (अनुबंधित वाहन चालक) को देना बताया। आरोपी श्री रविन्द्र सिंह, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, मावली जिला उदयपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. में गिरफ्तार किया गया। दौराने कार्यवाही श्री भैरूसिंह अनुबंधित वाहन चालक से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गयी। आरोपी श्री भैरूसिंह की तलाशी के प्रयास जारी है।

इस प्रकार आरोपी श्री रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर के द्वारा अपने दलाल आरोपी श्री भैरूसिंह (अनुबंधित वाहन चालक) से आपसी मिलीभगत करके एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 25.7.2022 को परिवादी श्री जीवनलाल से 25,000 रूपये आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के द्वारा आबकारी निरोधक दल में लगे अनुबंधित वाहन चालक आरोपी श्री भैरूसिंह से लिवाये जाकर उक्त रिश्वत राशि को दोनो आरोपी के द्वारा आपस में बांटकर आरोपी श्री भैरूसिंह ने 4,000 रूपये रिश्वत राशि अपने स्वयं के पास रखते हुए शेष रिश्वती राशि 21,000 रूपये भैरूसिंह ने ही आरोपी श्री रविन्द्र सिंह के कार्यालय कक्ष के अटेच कमरे में रखी आरोपी श्री रविन्द्र सिंह की पेंट में रखे जो प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7, 7 ए पी. सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व 120 बी भा.द.सं. के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री रविन्द्र सिंह पिता स्व. श्री हरिसिंह खींची उम्र 48 वर्ष निवासी कडवड, पुलिस थाना कडवड तहसील व जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर तथा श्री भैरूसिंह पिता भंवर सिंह चुण्डावत जाति राजपूत निवासी वागरोदा पोस्ट भीमल पुलिस थाना मावली जिला उदयपुर हाल अनुबंधित वाहन चालक, आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7 ए पी. सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व 120 बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवा में वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रविन्द्र सिंह, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल मावली, जिला उदयपुर एवं 2. श्री भैरूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह चुण्डावत (अनुबंधित वाहन चालक), आबकारी निरोधक दल मावली जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 294/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2574-78 दिनांक 27.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

27.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।